

प्ररूप 21 ग  
(नियम 64 देखिए)

( साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो )  
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

**निवाइ-95 (अ.जा.)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ,  
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) 44, दूरदर्शन कॉलोनी मालवीय नगर, जयपुर 302017 जो भारतीय जनता पार्टी  
द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान- टोंक

दिनांक -03/12/2023



( रवि कांत सिंह )

रिटर्निंग ऑफिसर

निवाइ 95 (अ.जा.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड

मजिस्ट्रेट निवाइ  
रिटर्निंग अधिकारी  
(राज्य) निवाइ

Form 21 C  
(See rule 64 )

( For use in General Election when seat is contested )

**Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951**  
Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **Niwai-95 (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that –

**Shri Ram Sahay Varma (Regar) 44, Doordarshan Colony Malviya Nagar, Jaipur Raj. 302017**  
Sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Tonk  
Date – 03-12-2023

  
(Ravi Kant Singh)  
Returning Officer  
Niwai 95 (SC)  
Sub Divisional Officer &  
Sub Divisional Magistrate Niwai  
**रिटर्निंग अधिकारी**  
**(एस.डी.एम.) निवाड़**